

प्रकाश

श्रीम प्रकाश गुप्ता,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश विद्यालय

देवागढ़

विषय:  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,  
विभाग-2 समुदाय/उप-  
वीथी विभाग,  
नई दिल्ली।

दिनांक: 17 अगस्त

दिनांक: 12 अक्टूबर, 2004

विषय:-

आरक्षित/अरक्षित पब्लिक स्कूल स्तर पर छात्रों का संचालन और सी.बी.एस.ई. नई दिल्ली से संबंधित हेतु अनारक्षित प्रमाण पत्र दिए जाने के संबंध में।

संदर्भ:-

उपरोक्त विषय की और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप को निदेश दिया है कि उक्त संबंधित विभाग की सी.बी.एस.ई. नई दिल्ली से संबंधित हेतु अनारक्षित प्रमाण पत्र दिए जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन आना पड़ेगा :-

- 1. विद्यालय की प्रसिद्ध सीतापट्टी का तय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- 2. विद्यालय की प्रयोगशाला में विज्ञान शिक्षक द्वारा नवीनीकरण कराया जायेगा।
- 3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के लिए सुरक्षित रहेगे और उक्त अनुसूचित जाति/जनजाति/वैशिक शिक्षा परिषद द्वारा संघर्षित विद्यार्थियों में विभिन्न स्तरों के लिए निर्धारित मुक्त से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से विरती अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा वैशिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संख्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/वैशिक शिक्षा परिषद द्वारा संघर्षित हेतु नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों की संख्या प्राप्त होने की तिथि से अनुसूचित/वैशिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।

  
Raj Devi Ram Karan  
Manager  
Raj Devi Ram Karan Public School

- 15। संस्था के शैक्षिक एवं शिरोधार कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुक्रम वेतनमानों तथा अन्य शर्तों से भी वेतनागत तथा अन्य भले नहीं दिये जायेंगे ।
- 16। कर्मचारियों को सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुक्रम वेतन-निवृत्ति का लाभ उपाध्य कराये जायेंगे ।
- 17। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- 18। विद्यालय का रिजर्व निर्धारित प्रपत्र/संज्ञिकाओं में रखा जायेगा ।
- 19। उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वनिर्धारित के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।

उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की सूक्ष्म या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापूर्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भावीय,

श्रीम. प्रकाश गुप्ता  
संयुक्त सचिव ।

संशोधन दिनांक तैय

- प्रतिनिधि नियमितित को सुवार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश ।
  - 2- मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, संजडा ।
  - 3- शिक्षा विभाग निरीक्षक, रायपुरी ।
  - 4- निरीक्षक, आंगण मारतीय विद्यालय, 3090, नरसडा ।
  - 5- प्रबंधक, आरडीआरडी पब्लिक स्कूल करीबा रायपुरी ।
  - 6- माड बुक ।

आज्ञा है

श्रीम. प्रकाश गुप्ता  
संयुक्त सचिव ।

*(Handwritten Signature)*  
श्रीम. प्रकाश गुप्ता

**Manager**  
Raj Devl Ram Karan Public School